डायरी सं0 2571
दिनांक 17-9-19
फाइल सं0 ...
फाइल क्रमांक 77

By M.B. 17/9/19

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
email:seproject@upavp.in

संख्या / ए-3 / 1068 दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त (म0) के अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित कार्य की प्रशा0 एवं वित्तीय स्वी0 एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	परियोजना आई0डी0नं0	योजना का नाम	परियोजना की लागत (रू0 लाख में)	लेखा शीर्षक
1	159056	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद-बाराबंकी के ग्राम बडेल, तहसील नवाबगंज में प्रस्तावित 288 नग (जी+3) प्रकार के दुर्बल आय वर्ग भवनों का निर्माण कार्य।	1637.09	310/01(2019-20)

1- उक्त कार्य सक्षम स्तर द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार परिषद की कब्जा प्राप्त भूमि पर ही कराया जाये।
2- प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर कार्य पूर्ण होने की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई0डी0 नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
3- विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाये। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाये।
4- कार्य की ई-निविदा का नियमानुसार व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए एवं परिषद की वेबसाइट पर देते हुए निविदा आमंत्रण किया जायेगा।
5- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिषदादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
6- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
7- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं किया जा रहा है।
8- लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
9- परियोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
10- उक्त निर्माण प्रशा0 एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 18 माह में अवश्य पूर्ण कर लिये जायें।
11- निर्माण लागत में आगे कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।

A.E/J.E(B) 17/9/19

(बसन्त लाल)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर
दिनांक: 16-09-2019

पृ0सं0 3521 / उक्त / 1068

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

E.E 17/9/19

1. निजी सचिव,आ0आ0/अ0आ0आयुक्त एवं सचिव/मुख्य अभि0, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
4. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी।
5. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता(पी-1)/निर्माण खण्ड-02, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल हेतु।

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर 17/9/19

J.E(B) ...

C:\Users\aa\Desktop\Sanjay Gupta\Sanjay Gupta AA Pras.doc